

**-:आदेश:-**

उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008 के नियम-2(1)(c) (II) नियम-2(1)(k) के प्राविधानों के दृष्टिगत इस नियमावली के नियम-3(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मै, कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्नवत् कालम-3 में अंकित डिप्टी कमिश्नर के रिक्त पद का क्षेत्राधिकार कालम-2 में अंकित डिप्टी कमिश्नर को प्रदान करता हूँ। एतदर्थ अलग से कोई वेतन/भत्ता देय न होगा:-

1	अधिकारी का नाम/पदनाम/ वर्तमान तैनाती	पद जिसका अतिरिक्त क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है।
1	श्री नवीन कुमार, डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर खण्ड-1, नजीबाबाद।	डिप्टी कमिश्नर, वाणिज्य कर, खण्ड-2, नजीबाबाद।

2- उक्त पद पर किसी अन्य अधिकारी की नियमित तैनाती होने पर उक्त प्रदत्त क्षेत्राधिकार स्वतः समाप्त हो जाएगा।

हो-

( मुकेश कुमार मेश्राम )  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृ0पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- संयुक्त सचिव, कर एवं निबन्धन अनुभाग-1, 30 प्र0 शासन, लखनऊ।
- 2- अध्यक्ष वाणिज्य कर अधिकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 3- जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, मुरादाबाद।
- 4- ज्वाइन्ट कमिश्नर (कार्य0) वाणिज्य कर, बिजनौर।
- 5- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद परिपत्र संख्या-PIS-153/वा0क0 दिनांक 18-7-2014 के अनुसार अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि का विवरण अपने Logging ID में अंकित करेंगे।
- 6- असिस्टेंट कमिश्नर (आई0टी0) वाणिज्य कर, मुख्यालय को विभागीय बेवसाइड हेतु।
- 7- सम्बन्धित अधिकारी की व्यक्तिगत पत्रावली हेतु।
- 8- कम्प्यूटर ऑपरेटर ग्रेड-ए, स्थापना राजपत्रित अनुभाग।

( सुनील कुमार राय )

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2

प्रभार-ज्वाइन्ट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

## ---आदेश---

30प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008, के नियम-2(1) (c) (II) तथा नियम 2(1) (k) के प्राविधानों के दृष्टिगत इस नियमावली के नियम-3(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नवत स्तम्भ में अंकित वाणिज्य कर अधिकारियों के विभिन्न पद मातृत्व अवकाश / से0नि0 होने के कारण रिक्त हो जाने के फलस्वरूप उनका अधिकार क्षेत्र स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारियों को प्रदान करता हूँ। एतदर्थ अलग से कोई वेतन भत्ता देय न होगा।

क्रम सं0	अधिकारी का नाम / पदनाम जिसे रिक्त पद का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाना है।	रिक्त चल रहे खण्ड/ पद जिसका क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है
1	2	3
1	श्री आलोक कुमार यादव, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-4 गोरखपुर	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-3 गोरखपुर।
2-	श्री राम निवास पाण्डेय, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-5 गोरखपुर।	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-6 गोरखपुर।
3-	श्री अवधेश कुमार दूबे, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-11 गोरखपुर	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-10 गोरखपुर
4	श्री विपिन कुमार, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-4 बस्ती	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-3 बस्ती
5	श्री राजेश कुमार, असि0कमि0वा0क0 सचलदल इकाई कन्नौज	असि0कमि0वा0क0सचलदल इकाई फतेहगढ़।
6	श्री वीर सैन, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-3 मुजफ्फरनगर	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-1 मुजफ्फरनगर
7	श्री राज कुमार मलिक, वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-4 मुजफ्फरनगर	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-6 मुजफ्फरनगर
8	श्री अनुज गोयल, वाणिज्य कर अधिकारी (टैक्स आडिट) जोन प्रथम गाजियाबाद।	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-18 गाजियाबाद।

उक्त पदों पर नियमित तैनाती / मातृत्व अवकाश से वापस आने पर उपरोक्तानुसार प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र स्वतः समाप्त हो जायेगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

(मुकेश कुमार मेश्राम)  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर जोन गोरखपुर, इटावा, सहारनपुर / गाजियाबाद द्वितीय।
- 2- सम्बंधित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक) वाणिज्य कर सम्भाग-ए गोरखपुर, सम्भाग इटावा, मुजफ्फरनगर / सम्भाग सी गाजियाबाद।
- 3- सम्बन्धित अधिकारी को इस निर्देश के साथ कि अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद परिपत्र संख्या- पी0आई0एस0-153/वाणिज्य कर दिनांक-18-07-2014 के अनुसार अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि का विवरण अपने Logging ID में अंकित करेंगे
- 4- डाटा इन्ट्री ऑपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय।

(सुनील कुमार राय)

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2

प्रभार-ज्वाइंट कमिश्नर (स्था0) वाणिज्य कर  
मुख्यालय लखनऊ।

पत्रांक-स्था-1-अधिकार क्षेत्र-वाणिज्य कर अधिकारी (2016-17)

3862 /वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश

(स्थापना राजपत्रित अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 06/01/17 ~~दिसम्बर-2016~~

---आदेश---

उ0प्र0 मूल्य संवर्धित कर नियमावली-2008, के नियम-2(1) (c) (II) तथा नियम 2(1) (k) के प्राविधानों के दृष्टिगत इस नियमावली के नियम-3(3) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए, मैं कमिश्नर, वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश निम्नवत स्तम्भ में अंकित वाणिज्य कर अधिकारी का पद सेवानिवृत्त होने के कारण रिक्त हो जाने के फलस्वरूप उनका अधिकार क्षेत्र स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारी को प्रदान करता हूँ। एतदर्थ अलग से कोई वेतन भत्ता देय न होगा।

क्रम सं०	अधिकारी का नाम / पदनाम जिसे रिक्त पद का क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाना है।	रिक्त चल रहे खण्ड/ पदनाम जिसका क्षेत्राधिकार प्रदान किया जाता है
1-	श्री राम शर्मा, वाणिज्य कर अधिकारी (वि0अनु0शा0) रेन्ज बी वाणिज्य कर गाजियाबाद।	वाणिज्य कर अधिकारी खण्ड-9 गाजियाबाद।

स्तम्भ-3 में रिक्त चल रहे खण्ड / कार्यालय में जिनका अधिकार क्षेत्र स्तम्भ-2 में अंकित अधिकारी को प्रदान किया गया है उस रिक्त पद पर अधिकारी की नियमित तैनाती हो जाने पर उपरोक्तानुसार प्रदान किया गया अधिकार क्षेत्र स्वतः समाप्त हो जाएगा।

उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

ह0/-

(मुकेश कुमार मेश्राम ;  
कमिश्नर, वाणिज्य कर,  
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पृष्ठांकन पत्र संख्या एवं दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-1, वाणिज्य कर गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद।
- 2- एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2, (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद।
- 3- ज्वाइंट कमिश्नर(कार्य0)वाणिज्य कर सम्भाग-बी गाजियाबाद जोन प्रथम गाजियाबाद।
- 4- सम्बन्धित अधिकारियों को इस निर्देश के साथ कि अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने के तत्काल बाद परिपत्र संख्या-संख्या-पी0आई0एस0-153 / वाणिज्य कर दिनांक 18-07-2014 के अनुसार अतिरिक्त पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि का विवरण अपने Logging ID में अंकित करेंगे।
- 5- डाटा इन्ट्री आपरेटर (स्थापना राजपत्रित अनुभाग) वाणिज्य कर मुख्यालय।

( सुनील कुमार राय )

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2

प्रभार-ज्वाइंट कमिश्नर (स्थापना) वाणिज्य कर  
उत्तर प्रदेश लखनऊ।